

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित 16 बिन्दुओं की सूचना कानपुर जोन, कानपुर।

1. कानपुर जोन, कानपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जनसूचना अधिकारी प्रधान लिपिक को बनाया गया है।
2. जनसूचना अधिकारी की शक्तियों/कार्य:- जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अधीनस्थ परिक्षेत्रों/जनपदों से सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत आन्तरित किया जाता है।
3. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसको सम्बन्धित परिक्षेत्र व जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत आन्तरित कर निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाता है।
4. विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाओं को सम्बन्धित जनपदों से समय सीमा के अन्तर्गत आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाता है।
5. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना व कराना।
6. दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:-
 - ❖ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - ❖ शासन/अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - ❖ पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र
 - ❖ अपीलीय प्रार्थना पत्र
7. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
8. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।
10. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
11. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
12. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
13. सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।
14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचना- उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप से निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

15. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण – शून्य
16. लोकसूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम— अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित है—

क्रम सं०	पदनाम	कार्य
01	प्रधान लिपिक / जनसूचना अधिकारी	व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा मांगी गई सूचनाओं को अधीनस्थ परिक्षेत्रों / जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 धारा 4(1)बी के अन्तर्गत सम्बन्धित परिक्षेत्रों / जनपदों को आन्तरित किया जाता है।
02	मुख्य आरक्षी ना०पु०	समस्त अभिलेखों का रख-रखाव कराना, आलेख प्रस्तुत करना व अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को अद्यतन करना।